SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF CRIMINAL PROCEDUR CODE, 1898

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण कमांक । ... / 2018

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused

- रामदास पुत्र रामचरन कुशवाह उम्र 28 साल निवासी नीरपुरा थाना मौं जिला भिण्ड
- ्2. बुद्धे पुत्र रामप्रसाद कुशवाह उम्र ४० निवासी झांकरी थाना मौं जिला भिण्ड
- ्रें. अशोक पुत्र भूरेलाल जाटव उम्र 25 साल निवासी झांकरी थाना मौं जिला भिण्ड
- 4. भीकाराम पुत्र शिवलाल जाटव उम्र 65 निवासी झांकरी थाना मौं जिला भिण्ड

The offence complained of, and date of its alleqed commission आपने दिनांक 16/12/17 को 17:17 बजे जमादारों के घर के पीछे ग्राम झांकरी में ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and bis examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक्-

अनुसर स्वरहर्ष

न्यायिक मिलस्टेट प्रथम श्रेणे गोहट जिला- भिण्ड (म प्र. er clause (d), clause

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

888 300 8003//निर्णय//

(आज दिनांक 25/1/18 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धरा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत रूपये 100–100/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- 3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 05-05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 4. प्रकरण में जप्तशुदा एक ताश की गड़डी नष्ट हो एवं रूपये 3650/-रुपये राजसात किये जाते है अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो।

स्थान- गोहद

दिनांक- 25/1/18

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

25/1/18

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद

न्यायिक मिजिरहेट प्रथा गोरट जिला-भिण्ड (म प

ase under clause (d).

section (1) of section 26